"उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद"
राज्य परियोजना कार्यालय
ननूरखेड़ा, निकट विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, तपोवन रोड, रायपुर, देहरादून
Email:-uadpep@vsnl.net
फोन / फैक्स : 0135 : 2781941, 2781942, 2781943

पत्रांकः रा0प0का0 / /कार्य0पु0 /2010–11 दिनांक फरवरी, 2011

भाग – एक

कक्षा– 1 से 8 की कार्य पुस्तिकाओं (Workbook) के मुद्रण हेतु निविदा के विस्तृत नियम, निर्देश एवं शर्ते

उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद की ओर से कक्षा–1 से 8 तक की कार्य पुस्तिकाओं के मुद्रण (आवरण पृष्ठों सहित) तथा जनपदों के जिला परियोजना कार्यालयों पर एफ0ओ0आर0 डेस्टिनेशन आपूर्ति हेतु अधिकृत अनुभवी मुद्रकों से दिनांक 17 मार्च 2011 अपराह्न 01.00 बजे तक मोहरबन्द (सील्ड) निविदाएँ उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद, सर्व शिक्षा अभियान, ननूरखेड़ा, नालापानी, देहरादून के कार्यालय में आमंत्रित की जाती है।

1. प्री–बिड कार्यशाला दिनांक 28 फरवरी 2011 को अपराह्न 2.00 बजे कार्यालय निदेशक, राज्य परियोजना कार्यालय उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद, सर्व शिक्षा अभियान, ननूरखेड़ा, नालापानी, देहरादून में आमंत्रित की जायेगी। जिसमें सभी इच्छुक निविदादाता भाग ले सकते हैं।

2. तकनीकी बिड दिनांक 17 मार्च 2011 को अपराह्न 2.00 बजे इच्छुक निविदाताओं के समक्ष राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद, सर्व शिक्षा अभियान, ननूरखेड़ा, नालापानी, देहरादून के सभाकक्ष में निविदा समिति द्वारा खोली जायेगी। निविदा के विस्तृत नियम व शर्ते संलग्न है।

3. तकनीकी अर्हता प्राप्त वित्तीय बिड दिनांक 18 मार्च 2011 को अपराह्न 01.00 बजे समिति द्वारा निविदा खोली जायेगी।

4. इच्छुक निविदादाता , राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद, सर्व शिक्षा अभियान,, देहरादून के कार्यालय से रूपये 2270.00 की धनराशि नगद भुगतान जमा कर निविदा प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इण्टरनेट वेबसाइट से डाउनलोड किया गया निविदा प्रपत्र भी प्रयोग किया जा सकता है। इण्टरनेट से डाउनलोड किया गया प्रपत्र प्रयोग किये जाने की दशा में कुल शुल्क रूपये 2270.00 का बैंक ड्राफ्ट पृथक जो राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद, सर्व शिक्षा अभियान, के पदनाम से देहरादून में देय हो, निविदा के साथ जमा किया जाना होगा।

1. विषयवार कार्य का अनुमानित विवरण :–

क्र0 सं0	कार्यपुस्तिका का नाम		पृष्ठों की संख्या अनुमानित	कार्य पुस्तिकाओं की अनुमानित संख्या
	कक्षा	विषय		
1	कक्षा–1	भाषा गणित	32	138332
2	कक्षा–2	भाषा गणित	32	125664
3	कक्षा 3	भाषा	36	126946
4		गणित	20	126946
5		ई0वी0एस0	28	126946
6	कक्षा–4	भाषा	48	126984
7		गणित	24	126984
8		ई0वी0एस0	28	126984
9	कक्षा–5	भाषा	54	118183
10		गणित	32	118183

11		ई0वी0एस0	28	118183
12	कक्षा–6	गणित	104	110746
13	कक्षा–7	गणित	100	101021
14	कक्षा–8	गणित	100	104199

निविदा की मुख्य शर्तें :–

1- सशर्त निविदा स्वतः स्वीकार नहीं की जायेगी।

1. निविदादाता द्वारा तकनीकी बिड **''प्रपत्र क''** में एवं वित्तीय बिड **''प्रपत्र ख''** में प्रस्तुत की जायेगी जो कि इस निविदा प्रपत्र के भाग–दो पर संलग्न हैं। तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड के प्रत्येक पृष्ठ पर मुद्रक/आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर होने अनिवार्य हैं। तकनीकी बिड के साथ सभी अपेक्षित अभिलेख भी रखें जायेंगे। दोनों लिफाफों को एक तीसरे मुहर बंद लिफाफे में बंद करके राज्य परियोजना कार्यालय में उपलब्ध करायें जायेंगे।
2. कार्य के लिए अर्नेस्ट मनी, बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारण्टी/एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 जमा करने होंगे।
3. **कक्षा– 1 से 8 तक की कार्य पुस्तिकाए 70 जी0एस0एम0 भार युक्त 50.8 सेमी × 76.2 सेमी आकार का कागज प्रयुक्त होगा।**
4. जिस निविदादाता का किसी भी प्रदेश की पाठ्यपुस्तकों/कार्य पुस्तिकाओ के मुद्रण कार्य में गत पाँच वर्षों में से कम से कम तीन वर्षों का अनुभव नहीं होगा, उसकी निविदा स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
5. कक्षा 1 से 8 की कार्य पुस्तिकाओं को चार अथवा दो रंगों में अथवा एक रंग में मुद्रित कराया जायेगा।
6. आवश्यकता पड़ने पर निविदा के साथ प्रस्तुत नमूने के कागज तथाा आपूर्तित कार्य पुस्तिकाओं में से रेण्डम आधार पर लिये गये नमूनों की जाँच राजकीय रासायनिक प्रयोगशाला से करायी जा सकती है और मानक के अनुरूप सही न पाये जाने पर इस निविदा के प्रस्तर–20 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

3. तकनीकी बिड :–

न्यूनतम अर्हता एवं मूल निविदा आवेदन पत्र के साथ रखने हेतु आवश्यक अभिलेख/प्रमाणपत्र :–

1- मुद्रण व्यापार में विगत दो वर्षों का टर्न ओवर न्यूनतम रू0 दो करोड़ हो, जो रजिस्टर्ड चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित हो। प्रमाण पत्र संलग्न करें (Balance sheet)

II- निविदादाता की अपनी स्वयं की अथवा साझेदारी की पंजीकृत मुद्रण इकाई हो, जिसमें वेब ऑफसेट (फोर कलर) एवं भीट–फेड मशीन होना आवश्यक हो। सम्बन्धित मुद्रक कार्यरत मशीनों का साइज, प्रकार, माडल का वर्ष, क्रय की तिथि एवं प्रेस डिक्लेरेशन की सत्यापित फोटोप्रति के साथ विवरण भी प्रस्तुत हो।

III- विगत तीन वर्षों का आयकर भुगतान का मूल प्रमाण पत्र की सत्यापित फोटोप्रति, जिसमें स्थायी आयकर खाता संख्या का उल्लेख पठनीय हो।

IV- वैध व्यापार कर/बिक्रीकर के भुगतान प्रमाण पत्र।

V- किसी भी सरकारी विभाग से किसी भी प्रकार का विधिक विवाद नहीं हैं, इसके लिए नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ–पत्र दें। इस शपथ पत्र में यह भी उल्लेख हो कि उक्त कार्य हेतु दी जा रही समस्त सूचनाएँ प्रत्येक दशा में सत्य हैं और ऐसी कोई सूचना, जो देना आवश्यक था, छिपाई नहीं गयी है। यदि कोई सूचना छिपाई गई हो तो विभाग द्वारा जो भी विधिक कार्यवाही की जायेगी वह मान्य होगी।

VI- तकनीकी बिड के साथ 4 फर्मा (10 पृष्ठ) का माडल (नमूना) जो कि चार रंगों में निर्धारित विशेषीकृत कागज पर, जिसके लिए दरें आमन्त्रित की गयी हैं, कागज के दोनों ओर मुद्रित करके देना अनिवार्य होगा। यह मुद्रक के कार्य के अनुभव एवं मुद्रण कार्य की गुणवत्ता को प्रमाणित करेगा। माडल ऑफसेट मशीन द्वारा मुद्रित होने चाहिए। कम्प्यूटर प्रिंट या फोटोकापी मान्य नहीं होगी। माडल बनाने हेतु विभाग द्वारा सी डी उपलब्ध करायी जाएगी। मुद्रक को विभाग द्वारा उपलब्ध सी डी के मैटर का ले–आउट, कलर स्कीम एवं चित्रों के अनुसार माडल बनाना होगा। इण्टरनेट से मॉडल बनाने हेतु विषय सामाग्री को भी डाउनलोड किया जा सकता है।

VII- मुद्रक द्वारा तकनीकी बिड में नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ–पत्र में यह भी उल्लेख किया जाय कि न्यूनतम 10 पृष्ठ का चार रंगों में मुद्रित जो माडल/आवरण पृष्ठ उनके द्वारा संलग्न किया गया है वह उनके ही द्वारा मुद्रित किया गया है।

VIII- निविदादाता द्वारा पेपर मिल से पेपर सप्लाई से सम्बन्धित अनुबन्ध पत्र लगाना अनिवार्य है, परन्तु ऐसी स्थिति में जिसमें निविदादाता द्वारा पेपर मिल का अनुबन्ध यदि किसी मिल द्वारा अधिकृत वितरक के माध्यम से किया जायेगा तो उस स्थिति में उस मिल के वितरक द्वारा पिछले दो वित्तीय वर्षों में कम से कम 3000 मीट्रिक टन कागज (क्रीमवोब/मैपलिथो) किसी भी शैक्षिक संस्थान/संस्था के प्रयोगार्थ आपूर्ति करने का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदादाता द्वारा जो भी अनुबन्ध प्रस्तुत किया जायेगा, क्रय भी उसी मिल/वितरक से किया जायेगा, जिसका प्रमाण पत्र भुगतान के पूर्व राज्य परियोजना कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। निविदादाता द्वारा ए–4 साइज के दस–दस फीट के चार सैट स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांक/मुहर सहित, जो बिन्दु 5 में अंकित निर्धारित कागज के विशिष्टीकरण की हो, भी संलग्न करें।

IX- आवरण पृष्ठ हेतु तकनीकी बिड में निर्धारित विशिष्टीकरण के अनुसार आवरण पृष्ठ की मुद्रित 1–1 प्रति 53.34 सेमी x 78.74 सेमी आकार में देनी होगी। साथ ही उक्त स्पेशीफिकेशन के कागज की ए–4 साइज के दस–दस फीट के चार सैट जो निविदादाता द्वारा दिनांक सहित हस्ताक्षरित हों तकनीकी बिड के साथ रखनी होगी। माडल बनाने हेतु परियोजना द्वारा सीडी उपलब्ध करायी जायेगी। डाउनलोड वाले फार्म के साथ मॉडल भी इण्टरनेट पर उपलब्ध रहेगा।

X- निविदा देने हेतु क्रय किया गया मूल आवेदन पत्र अथवा डाउनलोड किया पत्र ही मान्य होगा, जिसमें समस्त सूचनाएँ यथास्थान स्पष्ट पठनीय लेख में उल्लिखित हों, एवं आवेदन पत्र में दी गयी संलग्नक संख्या के क्रम में संलग्न हों। आवेदन पत्र में जो बिन्दु मुद्रक से सम्बन्धित न हों उसे काट दिया जाय/खाली न छोड़ा जाय।

XI- विगत पाँच वर्षों में से कम से कम तीन वर्षों में कार्य पुस्तिकाओं के मुद्रण के अनुभव का प्रदेश/कक्षा/वर्षवार उल्लिखित सत्यापित प्रमाण–पत्र एवं उनके नमूने भी संलग्न करें। उस नमूने में मुद्रक, संस्करण वर्ष, कक्षा स्तर पुस्तक के सातत्य में इनर पृष्ठ पर स्पष्ट मुद्रित हो।

XII- अर्नेस्ट मनी तथा सुरक्षा धनराशि हेतु निदेशक, राज्य परियोजना कार्यालय, उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद्, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड, देहरादून के पदनाम से निविदा में अंकित धनराशि तथा सफल निविदादाता द्वारा 5 प्रतिशत की सुरक्षा धनराशि कार्य संख्या के अनुसार अनुबन्ध के समय जमा की जायेगी, जो किसी शिड्यूल्ड बैंक के एफ.डी.आर. अथवा बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक/एन0एस0सी0 के रुप में बन्धक रखनी होगी।

XIII- बैंक ड्राफ्ट के पृष्ठ भाग में फर्म का नाम अंकित कर हस्ताक्षर कर दें।

कक्षावार विषयवार मुद्रण की संख्या

क्र0 सं0	मद का नाम	विषयों की संख्या	कार्य पुस्तिकाओं की संख्या (अनुमानित जो घट–बढ़ सकती हैं।)	अर्नेस्ट मनी (रूपये) में	कार्य पूर्ण करने के दिवस (क्रयादेश जारी होने तथा प्रूफ रीडिंग की तिथि से)
1	कक्षा–1	1	138332	02.50 लाख	30 दिवस
2	कक्षा–2	1	125664		30 दिवस
3	कक्षा–3	3	380838		30 दिवस
4	कक्षा–4	3	380952		30 दिवस
5	कक्षा–5	3	354549		30 दिवस
6	कक्षा–6	1	110746		30 दिवस
7	कक्षा–7	1	101021		30 दिवस
8	कक्षा–8	1	104199		30 दिवस

XIV- "तकनीकी बिड" के लिफाफे के बाहर से "तकनीकी बिड" लिखा होना चाहिए।

XV- अर्नेस्ट मनी के बैंक ड्राफ्ट एक अलग लिफाफे में रखकर दिये जायेंगे। लिफाफे के बाहर से अर्नेस्टमनी लिखा होना चाहिए। इण्टरनेट से डाउनलोड किये जाने की दशा में अर्नेस्ट मनी के साथ निविदा प्रपत्र शुल्क रूपये 2270.00 का दूसरा बैंक ड्राफ्ट भी रखा जायेगा।

XVI- सील्ड ''तकनीकी बिड'' का लिफाफा सील्ड ''वित्तीय बिड'' लिफाफा ''अर्नेस्ट मनी'' तथा डाउनलोड शुल्क का लिफाफा तीनों एक बड़े सील्ड लिफाफे के अन्दर रखकर प्राप्त कराया जाये।

4. वित्तीय बिड :–

I- कक्षा 1 से 8 की सभी कार्य पुस्तिकाओं हेतु बिना शर्त प्रति आठ पेजी एक रंग/दो रंग में मुद्रित फर्मा तथा प्रति आठ पेजी चार रंगों में मुद्रित फर्मा के आधार पर एक मूल्य दर, जिनमें आवरण पृष्ठ के मूल्य एवं प्रत्येक जिला परियोजना कार्यालय तक पुस्तकों की पहुँच को जोड़ते हुये दी जानी है, जिसमें सभी आवश्यक व्यय (करों सहित) सम्मिलित माने जायेंगे। वित्तीय बिड में दर स्पष्ट शब्दों एवं अंकों (दोनों में) हस्तलिखित/टंकित रूप में वित्तीय बिड के प्रपत्र (**प्रपत्र ख**) में अंकित करके दी गयी हो, जो निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मुहर से सत्यापित हो। दरें अपरिवर्तनीय होगी।

II- वित्तीय बिड के लिफाफे के बाहर लाल इंक से ''वित्तीय बिड'' लिखा होना चाहिए।

III- कक्षा–1 से 8 की कार्य पुस्तिकाओं के आवरण पृष्ठ सहित फोर कलर में कवर, बैक कवर तथा इन साइड कवर तथा इन साइड बैक कवर/टू कलर कवर वन कलर इन साइड में क्रमशः 200, जी0एस0एम0 कागज दोनों ओर से सफेद कागज पर मुद्रण (कवर का साईज 10.5'' X 15.5'') (किताब की साइज 20''X30''X 8'') दरें निर्धारण के समय निम्न का ध्यान रखा जायः–

(क) फोर कलर कवर, एक कलर इन–साइड कवर

(ख) फोर कलर कवर, फोर कलर इन–साइड कवर

(ग) टू कलर कवर, वन कलर इन–साइड कवर

सम्बन्धित दर प्रति पुस्तक (सम्पूर्ण धनराशि जोड़कर) अंकित की जानी होगी।

5. कागज का विशिष्टीकरण :–

कक्षा 1 से 8 की पुस्तकों हेतु जो माडल के रूप में अथवा अनुबन्ध के बाद मुद्रित की जानी है, में प्रयुक्त किये जाने वाला कागज मुद्रक स्वयं क्रय करेंगे। पुस्तकों हेतु प्रयोग में लाये जाने वाले कागज का विशिष्टीकरण निम्नवत् होगा :

1. टेक्स्ट कागज बी0आई0एस0 स्पेसीफिकेशन 1848/1991/ 2007 वर्तमान संशोधित एवं आवरण पृष्ठ वी0आई0एस0 स्पेसीफिकेशन 6956/2001 के मानक के अनुरूप होना चाहिए।
2. कक्षा–1 से 8 के लिए 70 जी0एस0एम0 भार युक्त 50.8 सेमी X 76.2 सेमी आकार का कागज प्रयुक्त होगा।

6– आवरण पृष्ठ हेतु प्रयोग में लाये जाने वाले कागज का विशिष्टीकरण :–

आवरण पृष्ठ हेतु 53.34 सेमी X 78.74 सेमी आकार का कागज प्रयोग किया जायेगा जो ए श्रेणी की मिल का वर्जिन पल्प एवं 250 जी0एस0एम0 भार का होगा। उपरोक्त विशिष्टीकरण के कागज के नमूने की 10–10 शीट्स तकनीकी बिड के साथ संलग्न करें।

1. कार्य पुस्तिकाओं के मुद्रण में फॉण्ट का साइज परियोजना द्वारा दिये गये निर्देशानुसार रखा जायेगा। विभाग द्वारा सी डी दिये जाने पर सी डी के अनुसार ही फाण्ट साइज व स्पेसिंग होगा।
2. कार्य पुस्तिकाओं का प्रिंट एरिया 15.9 सेमी X 22.1 सेमी तथा पुस्तकों का ट्रिम साइज 18.41 सेमी X 24.13 सेमी रखा जाये।

7– मुद्रण हेतु विशेष ध्यान देने योग्य निर्देश :–

1- चयनित निविदादाताओं द्वारा कक्षा 1 से 8 की कार्य पुस्तिकाओं के सभी 8 पेजी फर्मे में मुद्रित हों। प्रत्येक मुड़े हुए फर्मा के बाहरी मोड़ पर फोलियो टाइप में फर्म का नाम मुद्रित हो।

2- समस्त बायीं ओर के पृष्ठों पर डाले गये पृष्ठ संख्या के दूसरी ओर सम्बन्धित कार्य पुस्तिका का नाम मुद्रित करें।

3- समस्त इलस्ट्रेशन एवं चित्रांकन उत्तम इंक एवं रंग से विषयवस्तु के अनुरूप एवं समीपस्थ मुद्रित करेंगे,, जिनका हेयर लाइन रजिस्ट्रेशन ठीक हो।

4- सभी पृष्ठों पर मुद्रण समान आकर्षक इंक में होंगे।

5- कार्य पुस्तिकाओं के सभी रंग स्पष्ट व आकर्षक हों, और उनका प्रभाव सकारात्मक हो। रंगों की ओवरलैपिंग न हो तथा रंग चित्रों में फैले नहीं, इसके लिए विशेष ध्यान दिया जाय।

6- अक्षर मात्रा, अंक, दशमलव, बिन्दु, कामा, अर्द्धविराम, गणित के चिन्ह आदि टूटे–छूटे, मिटे या स्थान बदलने से होने वाली त्रुटि की स्थिति में नहीं हों, इसके लिए प्रूफ रीडिंग अत्यधिक सावधानी से की जावेगी।

7- बाइंडिंग में तीन तार की साईड स्टिचिंग बराबर दूरी पर होगी। 50 या कम पृष्ठों की पुस्तकों में सेंटर स्टिचिंग तीन तार से होगी।

8- बाइंडिंग एवं कटिंग के बाद बिना मुद्रित चारों ओर का हासिया क्षेत्र एक सेमी0 चौड़ाई से कम न हो।

8– निविदा के अन्य आवश्यक नियम एवं शर्तें : –

1- कोई भी सशर्त निविदा स्वतः निरस्त हो जायेगी।

2- एक दूसरे से पूल किये जाने की स्थिति में दी गयी निविदा के निविदादाताओं को काली सूची में दर्ज किया जायेगा एवं अर्नेस्टमनी जब्त कर ली जायेगी।

3- "तकनीकी बिड" हेतु मूल निविदा प्रारूप का ही प्रयोग किया जाय।

4- "वित्तीय बिड" में प्रति पुस्तक मूल्य दर दी जायेगी। कक्षा 1 से 8 की सभी कार्य पुस्तिकाऐं की दरें आवरण पृष्ठ सहित प्रेषित की जानी होंगी।

5. जिस कार्य हेतु जितना क्रयादेश दिया जाय उसके अनुपातिक प्रत्येक कार्य हेतु पृथक–पृथक अर्नेस्टमनी तथा निविदा स्वीकृति के उपरान्त "सिक्योरिटी मनी" देना अनिवार्य है।

6. कार्य पुस्तिकाओं के रनिंग मैटर में रंगों के प्रयोग से ओवर लैपिंग की समस्या के निवारण हेतु हेयर लाइन रजिस्ट्रेशन तक मुद्रित करना होगा।

7. जिस निविदादाता की "तकनीकी बिड" निविदा समिति द्वारा अर्ह मानी जायेगी, उसी निविदादाता की "वित्तीय बिड" खोली जायेगी।

8. यदि निर्धारित तिथि को अपरिहार्य कारणों से "वित्तीय बिड" खोलना सम्भव न हो तो निविदा समिति "वित्तीय बिड" खोलने का दिनांक, समय व स्थान तकनीकी रूप से अर्ह निविदादाताओं को सूचित किया जायेगा। जिनकी "तकनीकी बिड" अनर्ह पायी जायेगी उसे उक्तवत सूचित नहीं किया जायेगा, न ही उस निविदादाता को अनर्हता का कारण बताया जायेगा तथा सम्बन्धित निविदादाता किसी भी स्तर पर उसकी माँग नहीं करेगा।

9. मुद्रणादेश प्राप्त करने का उत्तरदायित्व चयनित निविदादाता का होगा, जिसके उपरान्त चयनित निविदादाता को तीन दिन के अन्दर अनुबन्ध करने हेतु उपस्थित होना होगा। निर्धारित तिथि को अनुबन्ध नहीं करने पर उक्त मुद्रणादेश स्वतः निरस्त हो जायेगा, एवं अर्नेस्टमनी जब्त कर ली जायेगी।

10. निविदा समिति द्वारा घोषित उक्त दर एवं निश्चित मुद्रणादेश के आधार पर दिये गये कुल कार्य के मूल्य का 10 प्रतिशत सुरक्षा धनराशि (सिक्योरिटी मनी), जिसमें तकनीकी बिड के साथ दी गयी अर्नेस्टमनी समाहित हो जायेगी का बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0/बैंकर्स चैक/एन0एस0सी0 जो कार्य पूर्ति हेतु निर्धारित तिथि से 30 दिन बाद तक वैध हो, निदेशक, राज्य परियोजना कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड देहरादून के पद नाम से जमा करना होगा।

11. सुरक्षा धनराशि, निर्धारित समय सारणी का पालन करने एवं निर्धारित मानक की गुणवत्ता की पुस्तकों को अनुबन्ध के अनुरूप निर्धारित संख्या में सन्तोषजनक कार्यवाही पूर्ण करने तथा सम्बन्धित जिले के जिला परियोजना अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर वापस कर दी जायेगी।

12. इस समयबद्ध एवं महत्पूर्ण कार्य के लिए निश्चित समय–सारणी का पालन हो सके इसके लिए समय–सारणी (अनुबन्ध में दी गयी तिथियों) का पालन न किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित निविदादाता का आवंटित कार्य किसी भी अन्य निविदादाता को दिया जा सकता है, साथ ही दोषी निविदादाता के विरूद्ध उसकी सिक्योरिटी जब्त कराते हुए वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। इस तरह की कार्यवाही कार्य पुस्तिकाओं की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप न होने पर भी सुनिश्चित की जायेगी।

13. सभी चयनित प्रेसों द्वारा आवरण पृष्ठों के मुद्रण का कार्य सिक्योरिटी की दृष्टि से इस प्रकार करना होगा कि इसका उपयोग किसी अन्य द्वारा नहीं किया जा सके।

14. परियोजना द्वारा क्रय की जाने वाली पुस्तकों के प्रथम पृष्ठ के मध्य में तथा अन्तिम पृष्ठ के ऊपरी भाग में नीले बाक्स में लाल इंक से 20 प्वाइण्ट बोल्ड टाइप में **'निःशुल्क वितरण हेतु'** मुद्रित करना होगा। आवरण पृष्ठ के मुख पृष्ठ तथा अन्तिम पृष्ठ पर भी उपर्युक्तवत् 'निःशुल्क वितरण हेतु' मुद्रित करना होगा।

15. आवरण पृष्ठ के अन्तिम पृष्ठ पर **"सर्व शिक्षा अभियान"** तथा सर्व शिक्षा अभियान का **"लोगो"** 20 प्वाइंट बोल्ड टाइप में भी अंकित किया जाना होगा।

16. निःशुल्क वितरण हेतु एफ0ओ0आर0 डेस्टीनेशन आपूर्ति के लिए औपचारिक क्रयादेश अधिकृत जिला परियोजना अधिकारी द्वारा दिया जायेगा। समस्त क्रयादेश राज्य परियोजना कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान

से प्राप्त किये जायेंगे। सम्बन्धित मुद्रक को औपचारिक क्रयादेश में उल्लिखित शर्तों एवं समय–सारिणी के अनुसार, आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।

17. सफल निविदादाता को आपूर्ति आदेश एक मुश्त देने के बजाय आवश्यकतानुसार टुकड़ों में दिया जा सकता है।

18. उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद द्वारा संचालित सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत आच्छादित जनपदों हेतु अधिकृत अधिकारी द्वारा क्रयादेश जारी होने के बाद राज्य परियोजना कार्यालय से क्रयादेश प्राप्त करने के अधिकतम 07 दिन के अन्दर प्रूफ रीडिंग हेतु कार्यपुस्तिकाओं को प्रस्तुत करना होगा। परियोजना द्वारा 08 दिन में प्रूफ रीडिंग का कार्य पूर्ण किया जायेगा तथा प्रूफ रीडिंग सम्पन्न होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर समस्त निर्धारित मानकों के अन्तर्गत मुद्रित कर निर्धारित स्थल तक आपूर्ति करना होगा।

19. भुगतान की प्रक्रियाः–

जिला परियोजना अधिकारी प्रथमदृष्टया गम्भीर कमी न पाये जाने पर, पुस्तकें पहुंचने पर एवं बिल प्राप्त होने पर 75 प्रतिशत भुगतान 10 दिन में तथा तत्पश्चात् गठित समिति के गुणात्मक जाँच के बाद अवशेष 25 प्रतिशत का पूर्ण भुगतान अधिकतम दो माह के अन्तर्गत किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में जिला परियोजना अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा। भुगतान जनपद स्तर से ही किया जाएगा।

20. दण्डात्मक प्राविधान :– कागज तथा प्रिटिंग की गुणवत्ता उद्धरण, ले आउट, आकार इत्यादि मानकानुसार रखी जायेगी, गुणवत्ता में कमी अथवा पुस्तकों के मुद्रण में विलम्ब की स्थिति में फर्म के विरूद्ध निम्नवत् कार्यवाही की जायेगी :–

(अ) विलम्ब दण्ड :– क्रयादेश में निर्धारित समय (30 दिवस) के पश्चात् आपूर्ति होने पर अर्थदण्ड की व्यवस्था निम्नवत होगी:

1. रु0 0.50 प्रति कार्य पुस्तिकाओं 1 से 5 दिन
2. रु0 1.00 प्रति कार्य पुस्तिकाओं 6 से 10 दिन
3. रु0 1.50 प्रति कार्य पुस्तिकाओं 11 से 18 दिन
4. रु0 2.00 प्रति कार्य पुस्तिकाओं 19 से 25 दिन
5. रु0 3.00 प्रति कार्य पुस्तिकाओं 26 से 30 दिन

30 दिन से अधिक विलम्ब की दशा मे मुद्रक की जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी साथ ही मुद्रक को काली सूची में दर्ज किया जा सकता है।

ब– खराब मुद्रण

कार्य पुस्तिकाओं की आपूर्ति जनपदों में किये जाने के पश्चात जिला स्तरीय समिति द्वारा पुस्तकों का सत्यापन किया जायेगा। कार्य पुस्तिकाओं के संत्यापन में मानक के अनुरूप मुद्रण न पाये जाने पर अथवा खराब मुद्रण की दशा में प्रति कार्य पुस्तिकाओं के मूल्य के 15 प्रतिशत का भुगतान नहीं किया जायेगा। समिति द्वारा खराब मुद्रण के अन्तर्गत अस्पश्ट चित्र, अपठनीय छपाई आदि पर विचार कर निर्णय लिया जायेगा।

स– त्रुटिपूर्ण मुद्रण

विभाग द्वारा देय सी0डी0 के अनुसार मुद्रण न होने पर अथवा त्रुटिपूर्ण मुद्रण होने पर प्रति पुस्तक के मूल्य के 15 प्रतिशत का भुगतान नहीं किया जायेगा। जिला स्तरीय समिति द्वारा नमूने के इतर कोई सामग्री छापने, गलत पाठ एवं चित्र छापने आदि पर विचार कर निर्णय लिया जायेगा।

द– कम माप

कार्य पुस्तिकाओं के आकार में समिति के सत्यापन के समय कम माप पाये जाने पर कुल कम हुये कागज के चौगुने मूल्य की कटौती कर दी जायेगी। सम्बन्धित सभी पुस्तक मानकानुसार कागज क्वालिटी में कमी या चित्रों का स्पष्ट मुद्रण न होने पर भुगतान नहीं किया जायेगा। इसके अन्तर्गत पुस्तकों के आकार में अन्तर, छोटा या बड़ा पर विचार किया जायेगा। यदि कार्य पुस्तिकाओं की माप इतनी कम हो जाए कि कार्य पुस्तिकाओं अपठनीय हो तो भुगतान नहीं किया जायेगा।

य– गुणवत्ता– कागज की गुणवत्ता मानकानुसार न होने पर राज्य परियोजना कार्यालय स्तर पर गठित समिति की संस्तुति के अनुसार कटौती कर दी जायेगी।

21. निदेशक द्वारा क्रयादेश निर्गत होने तथा नमूनों की प्रूफ रीडिंग पूर्ण होने के बाद मुद्रण एवं आपूर्ति 30 दिन के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से करनी होगी।

22. जिन निविदादाताओं की निविदायें स्वीकार की जायेंगी, उनके द्वारा अनुबन्ध के उपरान्त कार्य पुस्तिकाओं को अवमुक्त करने की अनुमति देने के पूर्व कार्य पुस्तिकाओं की गुणवत्ता की जाँच उस सक्षम अधिकारी/संस्था द्वारा करायी जावेगी, जिसे राज्य परियोजनाक कार्यालय द्वारा इस कार्य हेतु अधिकृत

किया जायेगा। पुस्तकों के निर्धारित मानक के अनुरूप न होने पर सम्बन्धित कार्य पुस्तिकाओं की प्राप्ति अस्वीकार की जा सकती है एवं सम्बन्धित प्रकाशक के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

23. सम्बन्धित कार्य एवं निविदा के परिप्रेक्ष्य में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे उत्तराखण्ड शासन के निर्णयार्थ (आर्बीट्रेशन) प्रस्तुत किया जायेगा और उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

24. न्यायालयी विवाद की स्थिति में जनपद देहरादून में स्थित न्यायालय ही सीमा होगी।

25. किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार, निदेशक, राज्य परियोजना कार्यालय, उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद, सर्व शिक्षा अभियान, देहरादून में सुरक्षित है।

26. मुद्रित होने वाली कार्य पुस्तिकाओं के नाम, पृष्ठों की संख्या, पुस्तकों की संख्या, उनके रंग एवं प्रति पुस्तक दरों का विवरण **प्रपत्र ख** में अंकित है जिसका प्रयोग वित्तीय बिड के रुप में करें। निविदा प्रपत्र के **प्रपत्र क** को मूल आवेदन पत्र के लिए प्रयोग करें।

27. कार्य अधिकता के दृष्टिगत करते हुए निविदा समिति को नेगोसिएशन का भी अधिकार होगा।

28. जिन निविदादाताओं की निविदाऐं स्वीकार होंगी, उनके द्वारा यदि आपूर्ति करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है तो उनकी अर्नेस्टमनी तथा सिक्योरिटी मनी जो भी हो, जब्त कर ली जायेगी। इस सम्बन्ध में अन्यथा कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

29. निविदादाता द्वारा कार्य पुस्तिकाओं के नमूनों के 07–07 सैट राज्य परियोजना कार्यालय हेतु, 01–01 सैट प्रत्येक जनपद हेतु, तथा 05–05 सैट एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड हेतु, राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराने होंगे। जनपद की प्रतियाँ राज्य परियोजना कार्यालय के अनुमोदनोंपरान्त सम्बन्धित जनपदों को पहुँचाने का दायित्व निविदादाताओं का होगा।

राज्य परियोजना निदेशक,
सर्व शिक्षा अभियान,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

भाग – दो

प्रपत्र–क

कक्षा– 1 से 8 की कार्य पुस्तिकाओं के मुद्रण हेतु तकनीकी बिड

1. निविदादाता का नाम ....
2. पता ....
3. फोन नम्बर कार्यालय ....मोबाईल ....
4. मुद्रक का नाम ....
5. पता ....
6. फोन नम्बर कार्यालय .... मो0 ....
7. प्रेस डिक्लेरेशन का दिनांक ....

   (मुद्रण की इकाई के पंजीकरण, प्रेस डिक्लेरेशन की सत्यापित प्रति संलग्न की जाय।)
8. मशीनों का विवरण साइज, प्रकार, माडल, क्रय तिथि

(तकनीकी बिड में सफल निविदादाता की इकाई (जिसमें मुद्रण कार्य होता हो) का निरीक्षण राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, देहरादून, उत्तराखण्ड द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा।)

9. स्थायी आयकर खाता संख्या ....

(विगत तीन वर्षों के आयकर भुगतान का प्रमाण पत्र /आयकर रिर्टन संलग्न किया जाय।)

10. वैध व्यापार कर/वैट पंजीकरण संख्या ....

केन्द्रीय बिक्रीकर/व्यापार कर/वैट पंजीकरण संख्या ....

(वैध व्यापार कर/वैट भुगतान का प्रमाण पत्र संलग्न किया जायेगा।)

11. विगत 05 वर्षों में मुद्रण के अनुभव
(विगत 05 वर्षों में मुद्रण के अनुभव का प्रदेश/संस्थान/वर्षवार उल्लेख आदेश की सत्यापित प्रति सहित एवं मुद्रण कार्य के नमूने भी संलग्न करना होगा।)

12. मुद्रण में विगत दो वर्षो के टर्न–ओवर–

(चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र (Balance sheet) सी0ए0 पंजीकरण नम्बर सहित संलग्न करें)

13. धरोहर राशि का विवरण

डी0डी0 नं0 व दिनांक–

धनराशि–रु0

बैक का नाम व शाखा–

14. इंटरनेट से डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र प्रयोग किये जाने की दशा में निविदा प्रपत्र के मूल्य का विवरण

डी0डी0 नं0 व दिनांक–

धनराशि–रु0

बैक का नाम व शाखा–

15. निर्धारित विशिष्ट कागज की आपूर्ति जिस पेपर मिल अथवा मिल द्वारा अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर से प्राप्त करेंगे, उस पेपर मिल एवं डिस्ट्रीब्यूटर का नाम व पता –

(निविदादाता द्वारा पुस्तकों में उसी मिल के कागज का प्रयोग किया जायेगा। मिल के साथ अनुबंध तथा दिनांक सहित हस्ताक्षरित नमूने अनिवार्य रूप से संलग्न करें। निविदादाता द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर से कागज आपूर्ति किये जाने की स्थिति में उस मिल के वितरक द्वारा पिछले दो वित्तीय वर्शों में कम से कम 3000 मीट्रिक टन कागज (क्रीमवोब/मैपलिथो) किसी भी भौक्षिक संस्थान/संस्था के प्रयोगार्थ आपूर्ति करने का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।)

16. किसी भी सरकारी विभाग से किसी भी प्रकार का विधिक विवाद न होने तथा काली सूची में दर्ज न होने का नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ–पत्र संलग्न करें।

17. निविदा के साथ 10 पृष्ठ का माडल/आवरण पृष्ठ जो कि चार रंगों में निर्धारित विशेषीकृत कागज पर, जिसके लिए दरें आमन्त्रित की गयी हैं, कागज के दोनों ओर मुद्रित करके संलग्न करें।

18. **वित्तीय** बिड में रखे सील्ड लिफाफे का विवरण–

19. अन्य कोई विवरण–

मैं .... मैसर्स .... का मालिक/ ....प्रतिशत साझेदार/प्रबन्धक हूँ। इस निविदा की समस्त कार्यवाही पूर्ण करने एवं समस्त देयक के प्रति मेरा पूर्ण उत्तरदायित्व है। उपरोक्त समस्त सूचना पूर्णतया सत्य है। इससे सम्बन्धित कोई सूचनाएँ छिपाई नहीं गई है। यदि कोई सूचना असत्य अथवा अपूर्ण पायी जाती है तो उसके लिए मै उत्तरदायी हूँ।

मालिक/प्रबन्धक/अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

दिनांक ....

नाम ....

संलग्नकों का विवरण सूची के साथ–

संस्था की मुहर

पता...

नोट :– प्रत्येक स्तम्भ में यथोचित प्रविष्टि प्रमाणक के आधार पर भरी जाय।

कक्षा– 1 से 8 की कार्य पुस्तिकाओं के मुद्रण हेतु वित्तीय बिड

निविदा दाता /फर्म का नाम ....

पता ....

फोन/फैक्स/ई–मेल ....

पुस्तक मुद्रण की दरें जिसमें बाइंडिगं, पैकिंग तथा राज्य के समस्त जनपद मुख्यालयों तक पंहुचाने के समस्त व्यय सम्मिलित है :–

क्र0 सं0	कार्यपुस्तिका का नाम		पृष्ठों की संख्या अनुमानित	कार्य पुस्तिकाओं की अनुमानित संख्या	दर प्रति कार्य पुस्तिका (₹ में)
	कक्षा	विषय			
1	कक्षा–1	भाषा गणित	32	138332	
2	कक्षा–2	भाषा गणित	32	125664	
3	कक्षा 3	भाषा	36	126946	
4		गणित	20	126946	
5		ई0वी0एस0	28	126946	
6	कक्षा–4	भाषा	48	126984	
7		गणित	24	126984	
8		ई0वी0एस0	28	126984	
9	कक्षा–5	भाषा	54	118183	
10		गणित	32	118183	
11		ई0वी0एस0	28	118183	
12	कक्षा–6	गणित	104	110746	
13	कक्षा–7	गणित	100	101021	
14	कक्षा–8	गणित	100	104199	

दिनांक :–

हस्ताक्षर निविदा दाता
नाम व पूर्ण पता (मुहर)